झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं०– 01 / 2013 पार्ट– I ..... / राँची, दिनांक : .....

आदेश

श्री राम इकबाल चौधरी, (ID - J4759) तदेन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध चकरी नाला श्रृंखलाबद्ध चेकडैम के निर्माण में बरती गयी अनियमितता के लिए आरोप पत्र गठित कर संकल्प ज्ञापांक– 2798 दिनांक– 26.08.2014 द्वारा सिविल सेवा नियमावली– 1930 के नियम–55 अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री चौधरी के दिनांक– 31.05.2016 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उक्त विभागीय कार्यवाही को आदेश सं०– 3972 दिनांक– 04.08.2016 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमवाली के नियम– 43बी० के अन्तर्गत सम्परिवर्त्तित किया गया। इसमें निम्न आरोप हैं :–

1. बिना अनुमोदित आलेख्य का कार्य निर्माण।
2. फ्रिक्शन ब्लॉक के निर्माण में अधिकाई भुगतान।
3. विशिष्ट से कमतर बोल्डर पिचिंग का कार्य
4. डिवाटरिंग एवं सॉफ्ट रॉक कटाई के भुगतान में विभागीय नियम का पालन नहीं होना।

2) संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित नहीं बताते हुए आरोप मुक्त करने का मंतव्य दिया गया है, परन्तु विभागीय समीक्षा में आरोप सं०–02 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी का यह कहना कि स्थानीय ग्रामीणों एवं मछुआरों के द्वारा फ्रिक्शन ब्लॉक को अव्यवस्थित कर दिया जाता है। इन अव्यवस्थित ब्लॉक की गणना उड़नदस्ता के द्वारा नहीं किया गया प्रतीत होता है, अतएव आरोप प्रमाणित नहीं होता है, को स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया। चूँकि उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में स्वीकृत ब्लॉक की संख्या उल्लेखित करते हुए स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि कुल 58 फ्रिक्शन ब्लॉक का निर्माण ही नहीं किया गया।

आरोप सं०–03 के संबंध में भी संचालन पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि ग्रामीणों / मछुआरों द्वारा बोल्डर पिचिंग को अव्यवस्थित कर दिया जाता है, अव्यवस्थित भाग की गणना संभवतः नहीं की गई है। अतएव, आरोप प्रमाणित नहीं होता है परन्तु उड़नदस्ता के पूरक प्रतिवेदन दिनांक– 21.09.2013 से यह स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया। इस प्रकार कुल रू० 1,75,147 / – का अनियमित भुगतान प्रमाणित होता है।

3) अतएव, सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक– 5196 दिनांक– 05.12.2018 द्वारा "पेंशन की राशि से 5% की कटौती दो वर्षों तक" करने के दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया। श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमति के निम्न कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विभागीय पत्रांक– 2360 दिनांक– 07.05.2019 द्वारा द्वितीय स्पष्टीकरण पूछा गया :–

I आरोप सं०–02 के संबंध में संचालन पदाधिकारी ने कहा है कि कार्यपालक अभियंता के पत्रांक– 27 दिनांक– 15.01.2015 द्वारा समर्पित उक्त कार्य की अद्यतन प्रतिवेदन में कार्य को पूर्ण बताया गया है, फलतः आरोप प्रमाणित नहीं होता है, परन्तु यह पाया गया कि इस प्रतिवेदन में कुल 109 अदद फ्रिक्शन ब्लॉक का निर्माण हुआ या नहीं ? यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी ने उपर्युक्त वर्णित अनिर्मित फ्रिक्शन ब्लॉक के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। उल्लेखनीय है कि इतने भारी फ्रिक्शन ब्लॉक जो Embedded रहता है को इधर –उधर अव्यवस्थित कर देने की संभावना और इसकी गणना नहीं होने की संभावना भी नहीं है।

इस स्थिति में उक्त आरोप को प्रमाणित नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। उड़नदस्ता के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि 58 फ्रिक्शन ब्लॉक का बिना निर्माण कराये भुगतान करने के कारण कुल 40635.97 रूपये का अधिकाई भुगतान किया गया है।

उक्त कारणों के आधार पर आरोप सं०–2 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार योग्य नहीं है।

II संचालन पदाधिकारी ने आरोप सं०–03 के संदर्भ में कहा है कि कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–27 दिनांक– 15.01.2015 द्वारा समर्पित अद्यतन प्रतिवेदन में कार्य को पूर्ण बताया गया है फलतः आरोप प्रमाणित नहीं होता है परन्तु यह पाया गया कि उक्त प्रतिवेदन में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि बोल्डर पिचिंग का कार्य विशिष्टि के अनुरूप किया गया है। जबकि उड़नदस्ता ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि बोल्डर पिचिंग Approved DPR में 5M है परन्तु जाँच में बोल्डर पिचिंग उक्त के अनुरूप नहीं पाया गया। उड़नदस्ता ने अपने पूरक प्रतिवेदन दिनांक– 21.09.2013 में कार्य को विशिष्टि के अनुरूप नहीं पाते हुए इसकी गणना कर इस मद में कुल 134512.62 रू० का अधिकाई भुगतान प्रतिवेदित किया है। अतएव, बोल्डर पिचिंग को अव्यवस्थित कर देने की संभावना एवं इसकी गणना नहीं किये जाने की संभावना नहीं है। इस स्थिति में उक्त आरोप को प्रमाणित नहीं मानने का कोई कारण नहीं है।

उक्त कारणों के आधार पर आरोप सं०–3 के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य स्वीकार योग्य नहीं है।

4) श्री चौधरी से प्राप्त द्वितीय स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई, जिसमें इन्होंने उन्ही तथ्यों को दोहराया है जो संचालन पदाधिकारी के समक्ष दिया गया था। अधिकाई भुगतान के संबंध में इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, परन्तु इस कार्य में मात्र 11 दिन संलग्न रहने एवं शून्य राशि के विपत्र हस्ताक्षरित करने के इनके बचाव–बयान के आलोक में चूँकि इनके द्वारा उक्त अधिकाई भुगतान के संबंध में उच्चाधिकारी को सूचित नहीं किया गया। अतएव अधिकाई भुगतान के लिये आंशिक रूप से ही दोषी पाये गये हैं।

5) अतएव, सम्यक समीक्षोपरान्त श्री राम इकबाल चौधरी, (ID - J4759) तदेन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल जमशेदपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :–

"पेंशन की राशि से 5% की कटौती छः माह तक।"

6) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 4777 ..... राँची / दिनांक 29/8/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा० एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार (लेखा० एवं हकदारी), बिहार, पटना/अवर सचिव (प्र०) प्रशाखा–03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर/ श्री राम इंकबाल चौधरी, (ID - J4759) सेवानिवृत सहायक अभियंता, मधुसूदन श्री कृष्णपुरी अपार्टमेंट, फ्लैट नं०–209, डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर /वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.8.19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव